

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082020-221294 CG-DL-E-21082020-221294

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2522] No. 2522] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2020/श्रावण 30, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2020/SHRAVANA 30, 1942

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2020

का.आ. 2849(अ).—केंद्रीय सरकार उभयलिंगी व्यक्ति (संरक्षण का अधिकार) अधिनियम, 2019 (2019 का 40) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित सदस्यों से युक्त राष्ट्रीय उभयलिंगी व्यक्ति परिषद् का गठन करती हैं:-

- केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अध्यक्ष (पदेन);
- राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उपाध्यक्ष (पदेन);
- III. पदेन सदस्य:
- 1. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- 2. निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के ऐसे अधिकारी जो संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे के नहीं हों, के प्रतिनिधि:
 - i. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
 - ii. गृह मंत्रालय
 - iii. आवासन और शहरी मामला
 - iv. अल्पसंख्यक मामला
 - v. मानव संसाधन विकास

- vi. ग्रामीण विकास
- vii. श्रम और रोजगार
- viii. विधि कार्य विभाग
- ix. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
- x. राष्ट्रीय ट्रांसफार्मिंग इंडिया आयोग संस्थान
- 3. निम्नलिखित आयोगों के ऐसे पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे के नहीं हो, के प्रतिनिधि:
 - i. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
 - ii. राष्ट्रीय महिला आयोग

IV. नामित सदस्यः

- राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर प्रत्येक क्षेत्र का बारी-वारी से एक प्रतिनिधिः
 - क. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का प्रतिनिधि उत्तर
 - ख. आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का प्रतिनिधि दक्षिण
 - ग. ओडिशा राज्य सरकार का प्रतिनिधि पूर्व
 - घ. गुजरात राज्य सरकार का प्रतिनिधि पश्चिम
 - ङ. त्रिपुरा राज्य सरकार के प्रतिनिधि पूर्वोत्तर
- 2. उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर प्रत्येक क्षेत्र से उभयलिंगी समुदाय के पांच प्रतिनिधिः
 - क. श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी उत्तर क्षेत्र
 - ख. श्री गोपी शंकर मद्रै दक्षिण क्षेत्र
 - ग. सुश्री मीरा परीदा पूर्व क्षेत्र
 - घ. सुश्री जैनब जाविद पटेल पश्चिम क्षेत्र
 - ङ. श्री काक चिंगताबम श्यामचंद शर्मा पूर्वोत्तर क्षेत्र
- 3. उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याणार्थ कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों अथवा एशोसिएसनों के पांच विशेषज्ञ प्रतिनिधिःश्री आर्यन पाशा
 - क. श्री विहान पीतांबर
 - ख. सुश्री रेशमा प्रसाद
 - ग. श्री पटेल चंदूमाई गणेशदास
 - V. सदस्य सचिव (पदेन):

उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याणर्थ कार्यरत संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

> [फा. सं. 17-8/2020-डीपी-II] राधिका चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2020

S.O. 2849(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 (40 of 2019) the Central Government hereby constitutes a National Council for Transgender Persons consisting of the following members, with effect from the date of publication of this notification in the

- I. Union Minister, Ministry of Social Justice and Empowerment- Chairperson (ex-officio);
- II. Minister of State, Ministry of Social Justice and Empowerment- Vice-Chairperson (ex-officio);

III. Ex-Officio Members:

- 1. Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment
- 2. Representatives not below the rank of a Joint Secretary, in the following Ministries/Departments:
 - i. Health and Family Welfare
 - ii. Home Affairs
 - iii. Housing and Urban Affairs
 - iv. Minority Affairs
 - v. Human Resources Development
 - vi. Rural Development
 - vii. Labour and Employment
 - viii. Department of Legal Affairs
 - ix. Department of Pensions and Pensioners Welfare and
 - x. National Institute for Transforming India Aayog
- 3. Representatives of the following Commissions not below the rank of Joint Secretary:
 - i. National Human Rights Commission
- ii. National Commission for Women

IV. Nominated Members:

- 1. Representatives of the State Governments and Union territories by rotation, one each from the North, South, East, West and North-East regions
 - a. Representative of UT Administration of Jammu & Kashmir- North
 - b. Representative of State Government of Andhra Pradesh- South
 - c. Representative of State Government of Odisha- East
 - d. Representative of State Government of Gujarat- West
 - e. Representative of State Government of Tripura- North-East
- 2. Five Representatives of transgender community, one each from the North, South, East, West and North-East regions:
 - a. Shri Laxmi Narayan Tripathi- North Region
 - b. Shri Gopi Shankar Madurai- South Region
 - c. Ms. Meera Parida-East Region
 - d. Ms. Zainab Javid Patel-West Region
 - e. Shri Kak Chingtabam Shyamcand Sharma- North East Region
- 3. Five experts, to represent non-governmental organisations or associations, working for the welfare of transgender persons
 - a. Shri Aryan Pasha
 - b. Shri Vihaan Peethambar

- c. Ms. Reshma Prasad
- d. Shri Patel Chandubhai Ganeshdas
- V. Member Secretary (ex-officio):

Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment dealing with the welfare of the transgender persons.

[F. No. 17-8/2020-DP-II] RADHIKA CHAKRAVARTHY, Jt. Secy.



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082020-221327 CG-DL-E-24082020-221327

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2529]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2020/भाद्र 2, 1942

No. 2529]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2020/BHADRA 2, 1942

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

शद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2020

का.आ. 2856(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 2849(अ), दिनांक 21 अगस्त, 2020, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की दिनांक 21 अगस्त, 2020 की अधिसूचना में क्र. सं. IV (3)

3. उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याणार्थ कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों अथवा एशोसिएसनों के पांच विशेषज्ञ प्रतिनिधिः

श्री आर्यन पाशा

- क. श्री विहान पीतांबर
- ख. सुश्री रेशमा प्रसाद
- ग. श्री पटेल चंदमाई गणेशदास

के स्थान पर

- 3. उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याणार्थ कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों अथवा एशोसिएसनों के पांच विशेषज्ञ प्रतिनिधिः
 - क. श्री आर्यन पाशा
 - ख. श्री विहान पीतांबर
 - ग. सुश्री रेशमा प्रसाद
 - घ. श्री पटेल चंद्रमाई गणेशदास

पहें

[फा. सं. 17-8/2020-डीपी-II] राधिका चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव

3877 GI/2020